राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन, ईसीजी टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष–2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफ्) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने बाबत् नीति–निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 19.06.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में प्रातः 10:30 बजे आयोजित की गई।

बैठक में अग्रांकित अधिकारियों (अथवा प्रतिनिधि) द्वारा भाग लिया गया :–

1.	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय	
2.	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल.	सदस्य
3.	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
4.	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	सदस्य
5.	विधि विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
6.	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
7.	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर या प्रतिनिधि	सदस्य सचिव
8.	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
9.	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	सदस्य
10.	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
12.	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय/मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
13.	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर	सदस्य
14.	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– जयपुर	सदस्य
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– प्रथम	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
16.	औषधि नियंत्रक– प्रथम, आयुक्तालय औषधि नियंत्रक एवं खाद्य सुरक्षा, चि. एवं स्वा. विभाग, राजस्थान।	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
		विशिष्ट आमंत्रित सदस्य

20/6/2024 20/6/24

			जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेशों में यह अंकन कि– "ये नियुक्ति आदेश प्रकरण में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे," करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार न केवल .फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती बल्कि मेरिट आधारित अन्य सभी भर्तियों का भविष्य इन याचिकाओं में होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई जुलाई माह में कभी भी संभावित है। फार्मासिस्ट भर्ती–2023 में आवेदकों द्वारा फ़र्जी अंकतालिकाओं के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाये जाने के दृष्टिगत फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओ की जांच का कार्य करवाया जा रहा है। औषधि नियंत्रक, राजस्थान के द्वारा जॉच करवाये गये 1528 ओवदकों की अंकतालिकाओं में 112 अंकतालिकाएं कूटरचित/संदेहास्पद पायी गई हैं। एक अन्य प्रकरण में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर 4 फार्मासिस्टों का पंजीयन रद्द कर दिया है। यदि इस आधार पर इन अभ्यर्थियों 116 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया से बाहर कर दिया जाता है अथवा इनका परिणाम रोका जाता है तो इसका प्रभाव डी.बी. सिविल रिट संख्या 5980/2022 भंवर बगड़िया के प्रकरण में पड़ने की संभावना रहेगी। अतः यह निर्णय लिया जाना है डी.बी. सिविल रिट संख्या 5980/2022 भवंर बगड़िया को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट कैडर की अंतरिम चयन सूची जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।	
5	116	श्री गोपाल गुसाई (आईडी संख्या एलटीएन 118142) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 18400/2023 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2023 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिनांक 13.05.21 से 28.05.21 तक कोविड अवधि में लैब टेक्नीशियन का कार्य किया है, का दिनांक 16.09.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यर्थियों की परिवेदना कि अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है किन्तु अधिकारीगण अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही कर रहे, का उल्लेख करते हुये यह निर्णय दिया कि अभ्यर्थी एक निश्चित दिनांक जो कि 2022 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार थी, तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेंगे एवं अधिकारीगण बिना कोई बाधा उत्पन्न किये अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अभ्यर्थी श्री गोपाल गुसाई का प्रकरण लालाराम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय से कवर	अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन ही दिनांक 15.09.2023 को किया गया जो कि दस्तावेज सत्यापन के बाद की दिनांक है। अतः विज्ञप्ति की शर्तों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एवं आवेदन पत्र में वर्णित अनिवार्य वांछित शर्तों/दस्तावेजों के संबंध में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः श्री गोपाल गुसाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त कर

		प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।	नहीं होता है क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन ही दिनांक 15.09.2023 को किया गया जो कि दस्तावेज सत्यापन के बाद की दिनांक है। अतः विज्ञप्ति की शर्तों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एवं आवेदन पत्र में वर्णित अनिवार्य वांछित शर्तों/दस्तावेजों के संबंध में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं किया जा सकता है।	निस्तारित किया जाता है।
6	117	अभ्यर्थिया वैशाली (आइडी संख्या पीएच 201476) द्वारा रिट याचिका संख्या 3665/2024 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी ने अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना नहीं मिलने के कारण स्वयं को अनुपस्थित होना बताया है।	अभ्यर्थी को उनके स्वयं के द्वारा आवेदन में भरे गये डेटा में दिये गये औसत प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित (एबसेन्ट) रही। तत्पश्चात् अनुपस्थित (एबसेन्ट) रहें अभ्यर्थियों को 23.9.2023 को विज्ञप्ति कमांक 9773 जारी कर पुनः एक और मौका दिया गया था एवं साथ ही विज्ञप्ति कमांक 9772 दिनांक 23.9.2023 जारी कर सूचित कर दिया गया था कि सभी सूचनाये वेबसाईट के माध्यम से ही दी जायेगी। इस प्रकार समस्त अभ्यर्थियों हेतु एक ही व्यवहार अपनाया गया है। किसी भी व्यक्ति को ई–मेल अथवा पत्राचार के माध्यम से सूचना नहीं दी गयी है।	अभ्यर्थिया वैशाली को उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये डेटा के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनपुस्थित (एबसेन्ट) रही है। अनपुस्थित (एबसेन्ट) रहे अभ्यर्थियों को पुनः एक और अवसर दिया जा चुका है, किन्तु अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत कारणों से इस अवसर का लाभ उठाने में असफल रही है जबकि दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंचाने हेतु सभी के साथ समान व्यवहार अपनाया गया था। अतः रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 15 (एच) को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में यह निर्णय लिया जा चुका है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता। तदनुरूप अभ्यर्थिया सुश्री वैशाली का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
7	118	श्री जितेन्द्र कुमार (आईडी संख्या एलटीएन 112685) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा क्रमांक 2596 दिनांक 23.9.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें इनकी	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पाली द्वारा क्रमांक 2596 दिनांक 23.9.2023 को जारी अनुभव

		याचिका संख्या 15794/2023 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिनांक 11.01.2023 से 31.03.2023 तक कुल 80 दिवस कोविड अवधि में कार्य किया होना बताया है के आधार पर बोनस अंक देकर भर्ती में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अनुभव अवधि दिनांक 10.01.2022 से 31.03.2022 तक दर्शाई है। उक्त प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन में अंकित अनुभव अवधि का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 15794/2023 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन के समय कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नही किया और ना ही अभ्यावेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में दर्शाई गई अवधि का उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया। जिसकी पुष्टि अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन फार्म से भी होती है। सीएमएचओ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र शिफु के पत्रांक 9349 दिनांक 12.09.2023 के क्रम में जारी किया गया है। उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि परिवेदना प्रस्तुत करने का तात्पर्य नवीन आवेदन भरने अथवा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने से नहीं है एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक इन्टर्नशिप, जाति वर्ग, अनुभव अवधि में त्रुटि रह जाने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी कैटेगरी में अधिक हो रहें है, किन्तु दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं है, को इस संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। नवीन अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं किये गये थें। चूंकि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था, अतः त्रुटि सुधार के नाम पर नवीन जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नही किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कराने सबंधी प्रकरणों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 18570/2019 कमलेश कुमार मीणा बनाम सरकार व अन्य व याचिका संख्या 18476/2019 सुभाष पारगी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 04.02.2020 एवं डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 236/2020 कमलेश कुमार मीणा बनाम सरकार व अन्य व डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 238/2020 सुभाष पारगी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 21.07.2020 को निर्णय पारित करते हुये याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज की जा चुकी है।	प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। शिफू द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.09.2023 में अंकित शर्तो के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं होने के कारण से श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।
8	119	अभ्यर्थी श्री विश्वेन्द्र सिंह (आईडी संख्या	विभाग द्वारा पत्र कमांक 682 दिनांक 1.6.2023 द्वारा समस्त अनुभव	दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के

		पीएच 187682) द्वारा रिट याचिका संख्या 8392/2023 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में कोविड काल के अनुभव का भुगतान की समस्या का समाधान सीएमएचओ, भरतपुर से करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र में शून्य के स्थान पर नियमानुसार बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया था जिसके क्रम में प्रार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा 18.5.2021 से 27.5.2021 तक भुगतान शून्य दर्शाते हुए अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 3.6.2023 जारी किया गया जिसका प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार बाद में भुगतान किया जा चुका है। अतः समिति द्वारा बैठक दिनांक 5.4.2024 के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाना है कि बाद में किये गये भुगतान के आधार पर कोविड अवधि का अनुभव गणना में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। प्रार्थी ने स्वयं को नियमानुसार 15 बोनस अंक देते हुए फार्मासिस्ट भर्ती में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में आवेदन किया जिसमें इनके प्राप्तांक 58.260 हैं एवं दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया है।	अनुसार प्रार्थी को कोविड अवधि का भुगतान नहीं हुआ था। किन्तु जैसा कि पूर्व के प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि चूंकि अनुभव अवधि की गणना भुगतान आधारित है अर्थात जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मान्य होगा, अतः यदि किसी अवधि का भुगतान नहीं किया गया हो तो उस अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित अधिकारी से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए यदि इस समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024 तक अनुभव अवधि का भुगतान किया जा चुका हो अथवा भुगतान योग्य मान लिया गया हो तो इस अवधि को गणना में सम्मिलित कर तदनुरूप नियमानुसार बोनस अंक दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के निर्देशों के द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।
9	120	मीनाक्षी दशोरा (आईडी संख्या पीएच 116630) द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 14978/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मैसर्स सुखविंदर एन्टरप्राईजेस द्वारा क्रमांक 1994 दिनांक 01.09.2018 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र मैसर्स सुखविंदर एन्टरप्राईजेस द्वारा क्रमांक 1994 दिनांक 01.09.2018 को जारी किया गया है। जो विज्ञप्ति की शर्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने व इस भर्ती हेतु जारी नहीं किया होने के कारण मान्य नहीं है। निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने संबंधी प्रकरणों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 16.01.2018, याचिका संख्या 1190/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 25.02.2020, डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 07.03.2019 तथा डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 05.03.2021 को आदेश/निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	अभ्यर्थिया सुश्री मीनाक्षी दशोरा द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया होने के कारण मान्य नहीं है। अतः इस आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अभ्यर्थिया सुश्री मीनाक्षी दशोरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

10	121	अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार ने माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 18357/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के क्रम में अब अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाये। इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त सूचना अनुसार आईस हॉकी एसोसिएयशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्व संस्था नहीं है। जबकि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाण पत्र इंडियन ऑलम्पिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त ice hockey association के winter game की 12 IHAI national tournament 2023 का मान्य प्रमाण पत्र है जो कि विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अधीन है।	अभ्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 18357/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के क्रम में अब अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उक्त रिट याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा राजेन्द्र कुमार बेनिवाल से कवर्ड कर निर्णित किया है। जिसमें याचिकाकर्ताओं को 20 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। किन्तु अभ्यर्थी ने तत्समय कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया बल्कि अंतरिम चयन सूची पर मांगी गई पदिवेदनाओं के तहत अपनी परिवेदना प्रस्तुत की जिसे परिवेदना निस्तारण समिति ने निम्नानुसार खारिज कर दिया:– "अभ्यर्थी द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया है और आइस हॉकी फैडरेशन द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिये होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के लिये या तो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इंडियन पैरालिम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित अथवा उपरोक्त दोनों में से किसी एक से सम्बद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया होना चाहिये। इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त सूचना अनुसार आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः प्रस्तुत खेलप्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है"।	नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.05.2024 द्वारा निर्णय लिया गया कि इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त पत्रानुसार कार्यवाही की जावे। इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त सूचना अनुसार आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः तदनुरूप अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार का अभ्यावेदन पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप अस्वीकार करते हुये निस्तारित किया जाता है।
11	122	अभ्यर्थी सुश्री पूनम चौहान ने माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 19766/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 के क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में फार्मासिस्ट पद हेतु अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाये। अभ्यर्थी द्वारा दावा किया गया है कि उसने 16.11.2022 को जारी विज्ञप्ति के क्रम में फार्मासिस्ट	अभ्यर्थी सुश्री पूनम चौहान ने माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 19766/2023 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 के क्रम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसे निदेशक, अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान के आदेश क्रमांक 222 दिनांक 04.04.2024 द्वारा निम्नानुसार निस्तारित कर दिया है– याचिकाकर्ता पूनम चौहान द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में आवेदन ही नहीं किया गया है तथा इस सम्बंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा सूचना क्रमांक 5340 दिनांक 31.05.2023 भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "वर्ष 2022 में भर्तियों हेतु जारी समस्त भर्तियों को निरस्त कर नवीन	वर्तमान भर्ती–2023 में समस्त आवेदकों को नवीन ऑनलाईन आवेदन फार्म भरना अनिवार्य था। अतः निदेशक, अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान के आदेश क्रमांक 222 दिनांक 04.04.2024 को समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

		पद हेतु आवेदन किया था। किन्तु उक्त भर्ती को बाद में निरस्त कर दिया गया। तत्पशचात् 05.05.2023 को पुनः विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें उल्लेख था कि जिन अभ्यथियों ने 16.11.2022 की विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन कर दिया है उन्हे, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने नवीन विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 के क्रम में आवेदन नही किया। अतः जारी की गई दस्तावेज सत्यापन सूची में अभ्यर्थिया का नाम नही आने एवं इस सम्बंध में विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क करने के उपरान्त परिवेदना पर कोई नतीजा नही निकलने के कारण अभ्यर्थिया ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 19766/2023 दायर की जिससे माननीय न्यायालय में 13.02.2024 को राजेन्द्र कुमार बेनीवाल प्रकरण से कवर करते हुए निर्णय पारित किया है।	विज्ञप्तियां भर्ती 2023 हेतु जारी की जा चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को नवीन ऑनलाईन फॉर्म भरना होगा। पूर्व में भरे गये फॉर्म के आधार पर नवीन भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे", उक्त के पश्चात भी याचिकाकर्ता द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती 2023 में आवेदन नहीं किया गया है। उक्त निस्तारण का अनुमोदन इस समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

प्रबन्ध निदेशक,
आर.एम.एस.सी.एल.,
मुख्यालय

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम. मुख्यालय

रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

रजिस्ट्रार, 21-6-24
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक
(क–2/नियम)

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग)

विशिष्ट आमंत्रित
(प्रतिनिधि:–अधीक्षक, सवाई मानसिंह
चिकित्सालय, जयपुर)

विशिष्ट आमंत्रित
(संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
जयपुर)

विशिष्ट आमंत्रित
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जयपुर–1)

विशिष्ट आमंत्रित
(औषधि नियंत्रक– प्रथम, आयुक्तालय
औषधि नियंत्रक एवं खाद्य सुरक्षा, चि. एवं स्वा.
विभाग)